

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी

फुरसतगंज एयरफील्ड

रायबरेली (भारत)

इगुआ के बारे में जानकारी

2005 सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (ख) के तहत

मैनुअल i

संस्था के मूलभूत तथ्य, कार्य प्रणाली, एवम कर्तव्य

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की स्थापना सोसाइटी पंजियन एक्ट 1860 के तहत की गयी थी। इसका मुख्य उद्देश्य समकालीन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के स्तर को एयर लाइन उन्मुख वायुयान उड़ान प्रशिक्षण प्रदान करना था जो सक्षम सुविधाओं जैसे सिमुलेटर, आधुनिक वायुयान बेडा आदि के साथ प्रशिक्षणार्थियों की योग्यता को बढ़ाने में मददगार हो। जिससे कि वाणिज्यक वायुयान चालन लाइसेंस जारी हो सके।

इगुआ नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त संस्था है। अकादमी का नियंत्रण शापी परिषद द्वारा किया जाता है। सचिव नागर विमानन इसके प्रमुख एवं पदेन अध्यक्ष हैं। होता है। शापी परिषद निम्नवत है:-

- | | | |
|---|--|--------------|
| 1 | श्री सोम सुन्दरन
सचिव नागर विमानन मंत्रालय | पदेन अध्यक्ष |
| 2 | श्री राहुल गांधी
सांसद | सदस्य |
| 3 | श्रीमती एम सत्यावती
नागर विमानन महानिदेशक | पदेन सदस्य |
| 4 | श्रीमती गार्गी कौल
संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार
नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार | पदेन सदस्य |
| 5 | श्री जी असोक कुमार
संयुक्त सचिव प्रशासन
नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार | पदेन सदस्य |

6	श्री रोहित नंदन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एयर इन्डिया	पदेन सदस्य
7	श्री आर के श्रीवास्तव आई ए एस अध्यक्ष, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण	पदेन सदस्य
8	ए वी एम अमित तिवारी सहायक वायुसेना प्रमुख	पदेन सदस्य
9	श्रीमती अनीता सिंह प्रमुख सचिव एवं महानिदेशक नागरिक उड्डयन	पदेन सदस्य
10	कै० सतीश शर्मा अध्यक्ष एयरो क्लब आफ इंडिया	पदेन सदस्य
11	एयरमार्शल वी के वर्मा (सेवानि.) निदेशक, इगुआ	पदेन सदस्य

II संस्था के उद्देश्य

सोसाइटी के उद्देश्य निम्नवत हैं:-

- 1 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी को स्थापित करना, इसका प्रबन्धन और रखरखाव करना ताकि यहां वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।
- 2 सामान्य जन एवं विदेशी लोगों के हित में एयरोनाटिक्स विज्ञान एवं नागर विमानन के क्षेत्र में प्रगति।
- 3 नागर विमानन के क्षेत्र में जिनकी जरूरतें हैं उन्हें वाणिज्यिक वायुयान चालन का प्रशिक्षण, उड़ान अनुदेशक एवं अन्य लोगों को जैसे - द्विक इंजन पृष्ठांकन एवं इन्स्ट्रूमेन्ट रेटिंग का प्रशिक्षण देना।
- 4 राज्य नागर विमानन पायलटों और वाणिज्यिक उड़ान चालक लाइसेन्स धारकों के लिए रिफ्रेशर पाठ्यक्रम संचालित करना ।
- 5 नागर विमानन एवं एयरोनाटिक्स विज्ञान के बढ़ावा के लिए संगोष्ठियां, व्याख्यान, वार्ता, आपसी संवाद, प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना ।
- 6 नागर विमानन एवं एयरोनाटिक्स विज्ञान से सम्बन्धित दूसरे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सोसाइटी द्वारा समय-समय पर निर्धारण।

- 7 सोसाइटी द्वारा समय-समय पर नागर विमानन एवं एयरोनाटिक्स विज्ञान से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना ।
- 8 उपरोक्त उद्देश्यो के लिए अन्य सोसाइटियों एवं सम्बंधित फ्लाइंग स्कूलों को सहायता देना एवं पथ प्रदर्शन।
- 9 उपरोक्त उद्देश्यो से जुड़े हुए इस प्रकार के कार्यों को करना।

शाषी परिषद की कार्यप्रणाली एवं शक्तियां-

- 1 शाषी परिषद अकादमी का सबसे बड़ा कार्यपालक संकाय है। शाषी परिषद का कार्य सोसाइटी के उद्देश्यो को मेमोरेण्डम आफ एसोसिएशन, स्थापना, अनुरक्षण एवं अकादमी के प्रचालन आदि को आगे बढ़ाना है।
- 2 सोसाइटी के मेमोरेण्डम आफ एसोसिएशन में किसी भी प्रकार का बदलाव को छोड़ कर शाषी परिषद प्रदत्त शक्तियों के अधीन संस्थान को उचित मार्गदर्शन के साथ अकादमी की गतिविधियों को नियंत्रित करे।
- 3 सोसाइटी के किसी भी प्राधिकारी के निर्णय को संशोधित एवं परिवर्धित करना।
- 4 शाषी परिषद अपने कर्तव्यो के निर्वहन में प्रश्नगत निति निर्धारण हेतु भारत सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त कर सकती है।
- 5 शाषी परिषद निम्नांकित अधिकारों का प्रयोग करेगी:-
 - i अकादमी के प्रशासनिक एवं कार्यप्रणाली से सम्बन्धित नितियों का निर्धारण करेगी।
 - ii सोसाइटी के उद्देश्य एवं बजट सीमा के अनुरूप अकादमी के कार्यक्रम पर विचार एवं अनुमोदन करेगी।
 - iii प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अहर्त्यता शर्तें अवधि, चयन प्रक्रिया एवं पाठ्यक्रम अंशों पर विचार एवं अनुमोदन करेगी।
 - iv समय-समय पर भारत सरकार के अनुमोदन के साथ नियम, रेगुलेशन एवं बाइलाज़ का अकादमी के कार्यों हेतु समय-समय पर बदलाव करने, जोड़ने और रिपील करने का अधिकार।

- v. अकादमी के साथ सोसाइटी के प्रचालन के लिए फण्ड पर विचार, अनुमोदन एवं अधिकृत करना।
- vi सोसाइटी के लिए वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेख एवं बजट प्राक्कलन पर विचार करना एवं उसके लिए Resolution पारित करना एवं भारत सरकार को प्रस्तुत करना।
- vii भारत सरकार के विचारार्थ सोसाइटी के विकास योजनाओं का रेखांकन करना।
- viii अकादमी के प्रशासन एवं प्रबन्धन से सम्बन्धित किसी सलाह अथवा बिन्दु या इससे जुड़े व्यवसाय से सम्बंधित कार्य को पूर्ण करने के लिए समिति का गठन।
- ix छात्रवृत्ति, मेडल, कीमत एवं फेलोशिप का निर्धारण एवं वितरण।
- x अकादमी के लिए तकनीकी, प्रशासनिक और अन्य पदों का सृजन प्रस्ताव परिलब्धियों की संरचना अर्थात् वेतनमान, भत्तों को अंगीकार एवम उसके संशोधन एवम बशर्ते 1500 - 2000 के ऊपर के पदों के सृजन हेतु वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की परामर्श से भारत सरकार के अनुमोदनोपरांत किया जाना अतः इसके प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत पदों को बनाने के दौरान परिषद समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अर्थव्यवस्था निर्देश के द्वारा निर्देशित किया जाएगा ।
- xi एरोनाटिक्स और इससे जुड़े भारतीय और/अथवा विदेशी सगठनों के सहयोग और सहकार करना बशर्ते उक्त सहयोग और लहकार के लिए केंद्री सरकार से पहले से ही अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका हो ।
- xii किसी चल एवम अचल सम्पत्ति और उसके निर्माण सुधार बदलाव विनष्टीकरण इमारत को ठीक करना इन सारे कार्यों को करना अकादमी सहित सोसाइटी के कार्य मे आता है. जिसमे कि उपहार के रूप मे अधिग्रहण करना क्रय करना लीज एवम किराये पर लेना आदि. बशर्ते उपरोक्त कार्यों हेतु केंद्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया गया हो ।
- xiii सोसाइटी एवम अकादमी के हितों को ध्यान मे रखते हुए अकादमी की अचल सम्पत्तियों का निस्तारण किया जाए. बशर्ते इसके लिये केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया गया हो ।
- xiv अकादमी को शामिल करते सोसाइटी के कार्यकलापों के सम्बंध मे बातचीत करना, अनुबंध एवम करार तैयार करना ।

- xv निदेशक को शक्तिया प्रदान करना एवम उनके द्वारा अकादमी के किसी अन्य कार्मिक अथवा कमेटी को शक्ति प्रदान करना ।
- xvi अकादमी के उद्देश्य प्राप्त हेतु केंद्र सरकार अथवा सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य श्रोत से अनुदान, उपहार, दान एवम अंशदान प्राप्त करना. बशर्ते अकादमी सोसाइटी द्वारा ऐसा लाभ नही प्राप्त किया जायेगा जो कि सोसाइटी के उद्देश्यो अथवा दायित्त्वो के विपरीत हो स्वीकार नही किया जायेगा ।
- xvii Memorandum of Association में निर्दिष्ट सभी कार्य आकस्मिक अथवा उपयुक्त जो कि अकादमी प्रगति मे सहायक हो करने के लिये ।